

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा


क्रमांक:- म्था.(रा.न्या.मे.)अवकाश / ११० /2021 दिनांक 28.04.2021

श्रीमती ज्योति देवी शर्मा (RJ1048), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ (टोक) को दिनांक 23.03.2021 से 24.03.2021 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ (टोक) ने उनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर उनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ (टोक) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 27.04.2021

क्रमांक :- म्था.वी.२(4)/36/2016/ 2778

दिनांक 28.04.2021

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शामन सचिव, विधि एवं विशिष्ट कार्य विभाग राजस्थान, जोधपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोक को उनके पत्रांक 2248 दिनांक 31.03.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्रीमती ज्योति देवी शर्मा (RJ1048), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ (टोक)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ (टोक)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ (टोक)।

  
28.4.2021  
सहायक रजिस्ट्रार